राजस्थान–सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांकः–एफ4(ई)(एम–193 / 88)अलेसे–III / 2880-2893 दिनांक 25-06-2012

आदेश संख्या 109 / 2012–2013

श्री महावीर प्रसाद, क0लेखाकार (193 / 88) कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना (नागौर)के विरूद्व राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, डीडवाना (नागौर) में हुए गबन प्रकरण में पुलिस थाना डीडवाना द्वारा मुकदमा संख्या 2 / 09 अन्तर्गत धारा 420,409 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करने एवं दिनांक 23.04.2009 से 25.04.2009 तक 48 धण्टे से अधिक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण कार्मिक (क–3 / शिका) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प02(2)(36)का / क–3 / शिका / 09 दि.12.05.2009 के द्वारा दिनांक 23.04.2009 से निलम्बित किया गया था ।

श्री महावीर प्रसाद द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 291 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2012 के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 18.01.2012 पर विचार करते हुऐ निलम्बन से बहाली का निर्णय लिया गया है। अतः वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प02 (8)वित्त / राजस्व / 2008 पार्ट दिनांक 21.06.2012 के अनुसरण में श्री महावीर प्रसाद, क0लेखाकार (निलम्बित) को उनके विरूद्व बकाया अभियोजन स्वीकृति एवं लम्बित जांच के अंतिम निर्णय के अध्यधीन पदस्थापन कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया जाकर उनका पदस्थापन कार्यालय कोषालय, चूरू में किया जाता है।

निदेशक

क्रमांकः–एफ4(ई)(एम–193 / 88)अलेसे–III / 2880-2893 दिनांक 25-06-2012

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प02(8)वित्त / राजस्व / 2008 पार्ट दिनांक 21.06.2012 के क्रम में ।
2 उपशासन सचिव, कार्मिक (क–3 / शिका), शासन सचिवालय, जयपुर।
3 जिला कलेक्टर, चूरू / नागौर।
4 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
5 संयुक्त निदेशक (विधि एंव जांच)
6 पुलिस अधीक्षक, नागौर।
7 कोषाधिकारी,चूरू।
8 श्री महावीर प्रसाद, क0लेखाकार मुख्यालय, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
9 निजी सहायक निदेशक महोदया।
10 गोपनीय शाखा / पदस्थापन सीट।
11 श्री महेन्द्र कुमार गोयल,क0लेखाकार / श्री अमरचन्द बैरवा,क0लिपिक।
12 निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

DTA वेबसाईट हेतु

संयुक्त निदेशक {कार्मिक–II}

M/oo Leter